मिला है । बिजलीघर को चालू करने के लिए आवश्यक भारी पानी की अधिकांश मात्रा प्राप्त हो चुकी है तथा शेष मात्रा के भी शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । बिजलीघर इस स्थिति में है कि उसे चालू किया जा सकता है । आशा है कि चालू करने का काम इस वर्ष के अन्त तक आरम्भ हो जाएगा ।

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन नियम

5310. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नियमों का ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार नियमों की एक अद्यतन संशोधित प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : केन्द्रीय स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 की एक प्रतिलिपि जिसमें इसकी मुख्य विशेषतायें और पात्रता के लिये वर्तमान मानदण्ड दिए गए हैं, सभा पटल पर रखी जाती है ।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना 15-8-72 से शुरू हुई थी । योजना में जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों को, यदि वे जीवित न हों तो उनके परिवारों को और शहीदों के परिवारों को पेंशन देने की व्यवस्था है। इस योजना के अधीन एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों को पेंशन स्वीकृति नहीं की जा सकती ।

परिवार में माता, पिता और विधुर/विधवा, यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो, अविवाहित पुत्रियां और ऐसे आपवादिका मामलों में पुत्र शामिल होंगे जहां स्वतन्त्रता सेनानियों की सजा/उनके शहीद होने के कारण वे स्वयं को स्थापित करने में असमर्थ रहे ।

इस योजना के प्रयोजनों के लिए तत्कालीन राजाओं की रियासतों के 15 अगस्त, 1947 के बाद भारतीय संघ में विलयन के लिए आन्दोलन और भूतपूर्व फ्रांसीसी व पुर्तगाली कालोनियों में हुए स्वतन्त्रता संग्राम भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के एक अंग समझे गये हैं ।

आजाद हिन्द फौज तथा भारतीय स्वाधीनता लीग में भाग लेने को भी राष्ट्रीयता मुक्ति संघर्ष में भाग लेना माना गया है ।

पात्रता : इस योजना के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित व्यक्ति स्वतन्त्रता सेनानी हैं :--

(क) वह व्यक्ति जिसने स्वाधीनता से पहले भारत की मुख्य भूमि (मेनलैण्ड) जेलों में कम से कम छः महीने की जेल काटी है । किन्तु भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी तब भी पेंशन के पात्र होंगे यदि उनकी सजा नजरबन्दी भारत के बाहर हुई हो ।

स्पष्टीकरण : 1. सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन नजरबन्दी को कारावास समझा जाएगा ।

2. सामान्य छूट (रेमिशन) की अवधि को वास्तविक सजा का भाग माना जाएगा ।

3. जिन मुकद्दमों में अन्ततः सजा हुई हो उनमें विचारण अवधि को काटी गई वास्तविक सजा में गिना जाएगा ।

4. सजा की अलग अलग अवधियों को जोड़ दिया जाएगा तथा उन्हें एक गिना जाएगा ।

(ख) वह व्यक्ति जो छः महीने से अधिक भूमिगत (अन्डर ग्राउन्ड) रहा हो बशर्ते कि :

1. वह घोषित अपराधी रहा हो, अथवा

2. उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया हो अथवा

3. उसकी नजरबन्दी के आदेश जारी किए गए हों । किन्तु तामील न हुये हों ।

(ग) वह व्यक्ति जो अपने घर में नजरबंद (इनटर्ड) रखा गया हो अथवा अपने जिले से निष्कासित किया गया हो बशर्ते कि बन्दीकरण/निष्कासन की अवधि छः महीने या उससे अधिक हो ।

(घ) वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त की गई हो अथवा कुर्क की गई अथवा बेच दी गई हो ।

(ङ) वह व्यक्ति जो गोली चलने अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गया हो ।

(च) वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के कारण अपनी असैनिक अथवा सैनिक नौकरी अथवा आजीविका के साधन से वंचित हो गया हो ।

शहीद वह व्यक्ति है जो भारत की विमुक्ति के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण कार्यवाही के दौरान अथवा नजरबन्दी में मर गया हो अथवा मारा गया हो अथवा जिसे मृत्यु दण्ड दिया गया हो। इसमें आजाद हिन्द फौज का अथवा सेना का ऐसा भूतपूर्व कर्मचारी शामिल होगा जो अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया हो ।

प्रक्रिया 1. आवेदन पत्र प्रस्तुत करना

जो व्यक्ति अपने को योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र समझते हैं उन्हें निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में आवेदन करना चाहिये । प्रपत्र की एक प्रति विधिवत भर कर तथा समर्थन में उपलब्ध दस्तावेजों सहित सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिये और दूसरी प्रति सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव को भेजी जानी चाहिये । आवेदन पत्र के प्रपत्र उपर्युक्त में से किसी भी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजने चाहिये :--

(क) सजा/नजरबन्दी इत्यादि

सम्बन्धित जेल प्राधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों अथवा राज्य सरकार से प्रमाणपत्र । ऐसे प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने पर किसी वर्तमान संसद् सदस्य अथवा विधायक से अथवा किसी भूतपूर्व संसद् सदस्य अथवा भूतपूर्व विधायक से सह-बन्दी (को प्रिजनर) प्रमाणपत्र जिसमें जेल की अवधि निर्दिष्ट हो ।

(ख) भूमिगत रहे

आवेदक को एक अपराधी के रूप में घोषित करने, उसको मारने अथवा उसकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार घोषित करने अथवा उसको नजरबन्दी करने विषयक न्यायालय/सरकार के आदेशों का दस्तावेजी सबूत ।

(ग) नजरबन्दी अथवा निष्कासन

नजरबन्दी अथवा निष्कासन के आदेश की प्रतिलिपि सहित शपथ पत्र (एफीडेविट) अथवा पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेजी सबूत ।

(घ) सम्पति, रोजगार आदि की हानि

सम्पत्ति को जब्त करने या उसको बचने के आदेश । सेवा से बर्खास्त करने तथा हटाने के आदेश ।

उन स्वतन्त्रता सेनानी के मामलें में, जिसने गिरफ्तारी / सजा के समय गलत नाम व पता दिया हो, ऐसे संसद सदस्य अथवा विधायक अथवा भूतपूर्व संसद् सदस्य अथवा भूतपूर्व विधायक से, जो स्वतन्त्रता सेनानी साथ जेल में रहा हो और जो स्पष्टतः उसकी पहचान को प्रमाणित करता हो, एक प्रमाणपत्र आवश्यक है ।

स्वीकृति आदेश का जारी करना : आवेदनपत्रों की समीक्षा करने के बाद स्वीकृति पत्र जारी किये जायेंगे और सम्बन्धित क्षेत्र के महालेखाकार को सूचित कर दिया जाएगा और उसकी प्रतिलिपियां राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव और सम्बन्धित जिले के कलैक्टर डिप्टी कमिश्नर को भेज दी जाएगी । इसके साथ-साथ पेंशन की स्वीकृति तथा पेंशन की राशि की सूचना देने के लिए एक पत्र प्रत्येक पेंशनग्राही को जारी किया जाएगा । जिन आवेदकों का अनुमोदन नहीं किया जा सकेगा, उन्हें विधिवत् सूचित कर दिया जाएगा ।

भुगतान का तरीका : स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित महालेखाकार निम्नलिखित पहचान कागजात प्रस्तुत करने पर भुगतान करने के लिए सम्बन्धित खजाना/उप-खजाना अधिकारी को प्राधिकृत करते हुए पेंशन भुगतान के आदेश जारी करेगा :--

1. फोटोग्राफ ।
2. पहचान के लिये दो विशिष्ट निशान ।
3. उन स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले में, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि अपने हस्ताक्षर कर सकें, सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् सत्यापित उनके बायें हाथ के अंगूठे तथा उंगलो के निशान
4. जन्म तिथि ।

इनके प्रस्तुत किए जाने पर खजाना अधिकारी/उप-खजाना अधिकारी पेंशन का भुगतान शुरू कर देगा ।

पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती हैं :--

1. खजाने अथवा उप-खजाने से या तो स्वयं
2. अथवा मनीआर्डर द्वारा ।

(क) सरकार के खर्च पर यदि पेंशन की मासिक राशि 100 रुपए से अधिक नहीं है,

(ख) मनीआर्डर कमीशन अदा करने पर यदि पेंशन की राशि 101 रुपए और 250 रुपए के बीच है ।

टिप्पणी : 250 रुपए से अधिक मासिक पेंशन मनीआर्डर द्वारा नहीं भेजी जाएगी ।

3. यदि पेंशनग्राही का बैंक में खाता खुला हुआ है खोल लिया जाय तो बैंक के माध्यम से । ऐसे मामलों में पेंशन-प्राप्तकर्ता को प्रतिमाह एक बिल बनाना पड़ेगा और इसे अपने बैंक को प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो खजाने अथवा उप-खजाने से उसकी ओर से पेंशन वसूल करेगा और उसके खाते में जमा करेगा ।

अवधि : अविवाहित पुत्रियों के मामलों को छोड़कर यह पेंशन उसके प्राप्तकर्ता के जीवन काल के लिए है । अविवाहित पुत्रियों के मामले में, उनके विवाहित होने अथवा अन्यथा स्वावलम्बी हो जाने के बाद पेंशन तुरन्त बन्द कर दी जाएगी । पेंशन-प्राप्त कर्ता की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी पेंशन के लिए अन्यथा पात्र होने पर भी स्वतः इस पेंशन के उत्तराधिकारी नहीं होंगे । उन्हें पेंशन प्राप्त-कर्ता की मृत्यु के सबूत के साथ नया आवेदनपत्र देना पड़ेगा और उनके आवेदनपत्र पर पेंशन योजना की शर्तों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

टिप्पणी :--(1) पेंशन योजना 15 अगस्त, 1972 से आरम्भ हुई है । 14 अगस्त, 1973 को या उससे पहले प्राप्त आवेदनपत्रों पर 15 अगस्त, 1972 से पेंशन स्वीकृत की जाएगी । उसके बाद प्राप्त आवेदनपत्रों पर पेंशन के सम्बन्ध में प्राप्त होने की तारीख से विचार किया जाएगा।

(ii) आवेदन पत्र प्राप्त करने की आखिरी तारीख 31-3-1974 निर्धारित की गई थी । क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदनपत्र अभी तक प्राप्त हो रहे हैं । अतः यह निर्णय लिया गया कि 30-4-1979 के बाद इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार न किया जाय चाहे वे सीधे प्राप्त हों या राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हों ।

(iii) योजना उन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए है जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है । स्वतन्त्रता सेनानियों या उनके परिवारों की आर्थिक दशा पर विचार करने के पश्चात् पेंशन स्वीकृति की जाएगी । केवल वे ही पेंशन स्वीकृति के पात्र हैं जिनकी आय सभी-स्रोतों से 5000/- रुपए से कम है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 25वें प्रतिवेदन को कार्यान्वित करना

5311. **श्री भीखाभाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के लोक सभा को पेश किए गए 25वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त द्वारा अब तक कुल कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ;

(ख) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग उनमें से कितनी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं ; और

(ग) क्या इन सिफारिशों के कार्यान्वयन लिए अलग सैल की स्थापना का प्रश्न उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपने 25वें वार्षिक प्रतिवेदन में लगभग 4480 सिफारिशें की हैं ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 25वें वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को उचित कार्यवाही के लिए सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाया गया है ।

पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग

(ग) जी हां, श्रीमान् :

5312. **श्री भीखाभाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत एक से अधिक बार पिछड़ा वर्ग आयोगों का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आयोगों की नियुक्ति की गई है और कब-कब ?

(ग) क्या संविधान के अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग गठित करने के बारे में भी उल्लेख है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक इस प्रकार का आयोग गठितन करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत सरकार ने संविधान की धारा 340 के अधीन दो पिछड़े वर्ग आयोग नियुक्त किए हैं । एक आयोग की नियुक्ति 29 जनवरी, 1953 को और दूसरे की 1 जनवरी, 1979 को की गई थी ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) 28 अप्रैल, 1960 को "अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग" नाम से राष्ट्रपति ने एक आयोग नियुक्त किया था। दूसरा आयोग नियुक्त करने के लिए आवश्यकता महसूस नहीं की गई है ।